

डिकी मुकदमा इत्दादाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

1. गैगा पुत्र रामहेत मीना मृतक
1/1 शिवचरण पुत्र गैगा
1/2 रामकेश पुत्र गैगा
2. लल्लू पुत्र रामहेत
2/1 रामोतार पुत्र लल्लू मीना
3. पाँच्या पुत्र रामहेत मीना

समस्त जातियान मीना निवासी मातासूला

(वादीगण)

बनाम

1. सियाराम दत्तक पुत्र घीस्या
 2. जैराम पुत्र भैसिंह
 3. काडू पुत्र भैसिंह
 4. हप्पू पुत्र भैसिंह
- समस्त जातियान मीना निवासीयान मातासूला तहसील टोडाभीम जिला करौली।?
5. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
 6. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
 7. सहकारी भूमि विकास बैंक टोडाभीम।

दावा बावत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा


मु0न0 128 / 2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट,
मुकदमा निब गुदई रूबरू श्री मनोज कुमार शर्मा हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया
गया है व डिकी दी जाती है। कि

वादी का दावा साक्ष्य सबूत के अभाव मे खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिंग.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे के
नय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा
करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10.02.2021 को जारी की गई।


(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बावत इजराय हुकमनामा		
बावत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					